

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -268

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2024-02403

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "चन्द्रा स्ववेयर", प्रमोटर-श्री राजकुमार नानजिआनी,
पता-ए-32, गायत्री नगर, गोकुल अपार्टमेंट के सामने शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"चन्द्रा स्ववेयर" पता-मोवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
12/07/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "चन्द्रा स्ववेयर" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA150618000189 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 15.06.2018 से पंजीकृत किया गया भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4 (2)(I)(D) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आबंटितियों से प्राप्त राशि एवं उपयोग रेरा विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से नियमानुसार करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-06/रेरा/2018/158, दिनांक 19.04.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 10.05.2024 के अनुसार यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, रेरा विनिर्दिष्ट खाता का नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 24.05.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 11.04.2023 को प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। रेरा विनिर्दिष्ट खाता खोला गया, किन्तु रेरा प्रावधानों के अनुसार परिपालन नहीं किया गया। छ.ग. रेरा वेबपोर्टल पर लेन-देन की गलत जानकारी दी गई है। रेरा वेबपोर्टल में अपलोड की गई एनेक्सर-19 गलत है, इसमें गणना में गलती है। एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. से तीसरे पक्ष को भुगतान किया गया है। उपरोक्त संबंध में अनावेदक द्वारा संशोधित एनेक्सर-19</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -268

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2024-02403

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "चन्द्रा स्ववेयर", प्रमोटर-श्री राजकुमार नानजिआनी,
पता-ए-32, गायत्री नगर, गोकुल अपार्टमेंट के सामने शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"चन्द्रा स्ववेयर" पता-मोवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>को प्रस्तुत किया गया है। सी.ए. के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक द्वारा त्रुटियों को सुधार कर संशोधित दस्तावेज प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत अनावेदक को भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none">- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	